

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-331/2019

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि०

..... याचिकाकर्ता

बनाम

मालती देवी और अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ०) एस०एन० पाठक

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री गणेश सी० झा, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए :

04/03.09.2020 कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर यह मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया गया है। संबंधित वकीलों को इस संबंध में कार्यवाही से कोई आपत्ति नहीं है, जो आज सुबह 10:30 बजे के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। उन्हें ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

त्रुटि (डिफेक्ट) सं० 4, जैसा कि एस०आर० दिनांक 20.08.2019 के द्वारा बताया गया है, को एतद्वारा नजरअंदाज किया जाता है।

सी०एम०पी०, एम०ए० सं० 338/2015 की पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे दिनांक 14.03.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए 05.04.2019 को खारिज कर दिया गया था।

सी०एम०पी० आवेदन के कंडिका संख्या 4 में पर्याप्त कारण दिखाया गया है। न्यायालय आवेदन में दिखाए गए कारण से पूरी तरह संतुष्ट है।

तदनुसार, इस सी०एम०पी० की अनुमति है और एम०ए० सं० 338/2015 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

[(डॉ० एस०एन० पाठक, न्याया०)]